



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224066
CG-DL-E-01012021-224066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4191]
No. 4191]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4776 (अ).—केन्द्र सरकार, लोकहित में पेट्रोलियम के आयात की आवश्यकता को ध्यान में रख कर पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 7 जून, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2015 (ई) के क्रम में एतद्वारा, गुजरात में मैसर्स अडानी हाजीरा पत्तन लिमिटेड को दिनांक 01.01.2021 से 30.10.2024 तक की अवधि के लिए समुद्र के रास्ते भारत में पेट्रोलियम का आयात करने हेतु अधिसूचित करती है।

[फा. सं. पीडी-26018/2/2013-एमपी]

अरविंद चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF PORT, SHIPPING AND WATERWAYS**(PORTS WING)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2020

S.O. 4776(E).— In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of the notification of Government of India, Ministry of Shipping No. S.O. 2015 (E) dated 7th June, 2016, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby notifies M/s. Adani Hazira Port Ltd., in Gujarat for importing petroleum into India by Sea for the period from 01.01.2021 to 30.10.2024.

[F. No. PD-26018/2/2013-MP]

ARVIND CHAUDHARY, Economic Adviser